

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
 उ०५०, लखनऊ ।

विषय- जनपद-सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रैजुकेट वन प्रभाग की 103.6750 हे. आरक्षित वन भूमि एवं ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे. आरक्षित वन भूमि अर्थात कुल 127.1637 हे. आरक्षित वन भूमि के गैर वाणिज्यिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ- आपका पत्र संख्या- 60/11सी-FP/UP/IRRG/20269 दिनांक 30.06.2017

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक परियोजना के सम्बन्ध में रैजुकेट व ओबरा वन प्रभाग, की उत्तिष्ठित कमियाँ के निराकरण कर सशेषित समीकृत प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अनुपालन में प्रयागीय वनाधिकारी, रैजुकेट व ओबरा वन प्रभाग ने अपने कार्यालय के कम्प्यूटर पत्रांक- 371/रैजुकेट/15-117, दिनांक 29.07.2017 एवं पत्रांक-01टी0सी0/ओबरा/15मू0ड0, दिनांक 27.07.2017 द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार प्रेषित किया गया है ।

रैजुकेट वन प्रभाग :-

क.सं.	आपत्तियाँ	निराकरण
1.	प्रस्तावित वन भूमि का 1:50000 माप का रंगीन टोपोग्राफिक संलग्न है, किन्तु उस पर शीर्षक व लीजेंड अंकित नहीं है।	शीर्षक व लीजेंड अंकित कर दिया गया है।
2.	प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति हेतु समतुल्य गैरवन भूमि वन विभाग की उपलब्ध करने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु उस पर वृक्षों की संख्या रैजिस्ट्री अंकित है।	वृक्षों की संख्या में हुई क्षति की संख्या में रैजिस्ट्री का निराकरण करा दिया गया है।
3.	प्रस्ताव के पूरक संख्या-337 पर संलग्न प्रमाण पत्र में वृक्षों की संख्या रैजिस्ट्री अंकित की गई है।	वृक्षों की संख्या में रैजिस्ट्री का निराकरण करा दिया गया है।
4.	प्रस्तावित वन भूमि का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Referenced Digital Map संलग्न है किन्तु कं०P40P40 फाईल शेप की सी0डी0 एवं Co-ordinates संलग्न नहीं है।	संलग्न करा दिया गया है।
5.	प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि पर 08 वर्षों का अनुसंधान सहित प्राक्कलन संलग्न है कृपया प्रस्तावित इस बिन्दु के अनुपालन में	अवगत करना है कि

10.	ईको-क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु दर अतिपूर्ण आगिति की गई है। अतः रु0 626000/- प्रति हे0 की दर से गणना संलग्न करें। माननीय उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के क्रम में भारत सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या- एक.नं. 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक- 05.02.2009 के अनुसार इको क्ला-III में
9.	प्रस्तावित वनभूमि के एन0पी0वी0 में संशोधन के उपरान्त बची हुई एन0पी0वी0 की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिदस्तावेज़ित हो, संलग्न नहीं है।
8.	क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु भारत सरकार के निर्धारित प्रमाण पत्र एवं वृक्षों की संख्या गलत अंकित है।
7.	क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित 1:50000 माप की टोपोग्राफिक संलग्न है किन्तु शीर्षक व लीजेंड अंकित नहीं है।
6.	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Referenced Digital Map एवं कोऑर्डिनेट संलग्न करवाते हुए फाइनल शेष की सी0डी0 संलग्न नहीं है। अतः संलग्न करते हुए आनलाइन अपलोड करें।
	आरक्षित वन भूमि के बदले समुल्लेख और वन भूमि पर 10 वर्षों का अनुपेक्षा सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न करते हुए आनलाइन माप-2 में अपलोड करें। अनुपेक्षा सहित कुल 10 वर्षीय योजना संलग्न है जिसे आइनालाइन माप-2 में अपलोड करा दिया गया है।

11.	गवट नोटिफिकेशन की छायाप्रति संलग्न है किन्तु प्रमाणित वनाधिकारी द्वारा विनित व प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है। प्रति विनित कराते हुए सक्षम अधिकारी से प्रतिक्रिया प्राप्त की जा रही है। प्रतिहस्ताक्षरित कराकर संलग्न है।	
12.	मलवा उत्खनन का विवरण, इसका निस्तारण एवं Reclamation plan जो प्रमाणित वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।	
13.	गैर वन भूमि पर किये जाने वाले मलवा निस्तारण की दशा में भू-स्वास्थ्य का संरक्षण करने का संलग्न है।	
14.	आनलाईन भाग-2 में हरियाली घनत्व 0.3 व हार्डकापी में 01 फीट है, जो पूर्णतः है। अतः एक समान अधिकृत करें।	आंकित करा दिया गया है।
15.	आनलाईन भाग-2, क्रमांक-5 व 6 में उचित छाटा फीट नहीं किया गया है। अतः क्रमांक-5 में Tree area is covered under plantation working circle of the working plan तथा क्रमांक-6 में The area is not vulnerable to soil erosion फीट करें।	छाटा फीट करा दिया गया है।
16.	आनलाईन भाग-2, Additional information details में कोई प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है। अतः सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करें।	आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न है।
17.	आनलाईन भाग-2 District Profile में पूर्ण विवरण फीट नहीं है।	फीट करा दिया गया है।
18.	प्रस्ताव में रेज्यूट वन प्रमाण से सम्बन्धित फूल 18282 वर्गों की	संशोधित सूची आनलाईन

तीन दरे निर्धारित की गयी है। जिसमें से रेज्यूट वन प्रमाण के अनिवार्य कार्य योजना के अनुसार इसके बलास 111 के प्रथम दर रु. 887000.00 प्रति हे. निर्धारित कराते हुए प्रमाण पत्र संलग्न है।

क्र.सं.	आपत्ति	नियंत्रण
1	प्रस्तावित वन भूमि का 1:50000 माप का रंगी टोपोग्राफिक व लीजेंड ऑफिट कर संलग्न है, किन्तु उस पर शीर्षक व लीजेंड ऑफिट नहीं है।	शीर्षक व लीजेंड ऑफिट कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में वृक्षों की संलग्न सूची में कोन रेंज की दो वृक्ष की संख्या अतिरिक्त है।	वृक्षों की संख्या में अतिरिक्त का शीर्षक व लीजेंड ऑफिट कर दिया गया है।
3	वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन भारत सरकार द्वारा लगाई गयी मानक शर्तों के मान्य होने का प्रमाण एवं संलग्न है किन्तु प्रमाणित वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	प्रमाणित वनाधिकारी के हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।
4	प्रस्तावित वनभूमि का स्थल अधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Referenced Digital Map को उपकरण फाइल शेष की सीडी संलग्न नहीं है। अतः संलग्न करते हुए आनलाइन अपलोड करें।	प्रस्ताव में संलग्न है।
5	प्रस्तावित वन भूमि की एनपीओ की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता, जो प्रमाणित वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव में संलग्न है।
6	प्रस्तावित वनभूमि के एनपीओ में संशोधन के उपरान्त बड़ी हुई एनपीओ की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता, जो प्रमाणित वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव में संलग्न है।
7	ईको-क्लास के अनुसार एनपीओ की गणना संलग्न है किन्तु दर अतिरिक्त आगमन की गई है। अतः क्र. 00	अवगत करना है कि पूर्व में ओएस वन प्रमाण के अन्तर्गत इकोक्लास

अधिसूचना व प्रमाण :-

19.	नहर के संरक्षण एवं कास संरक्षण समन्वय प्रमाण पत्र की अपरन्तीय छायाप्रति संलग्न है। अतः भूल प्रति संलग्न करें।	संलग्न करा दिया गया है।
20.	पूर्ण परियोजना से सम्बन्धित Catchment area treatment plan संलग्न नहीं है।	संलग्न करा दिया गया है।
21.	पूर्ण परियोजना से सम्बन्धित जस्टिफिकेशन रिपोर्ट संलग्न नहीं है।	संलग्न करा दिया गया है।
22.	भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में पूर्ण परियोजना का लागत-लाभ विश्लेषण संलग्न नहीं है।	संलग्न करा दिया गया है।

626000/- प्रति हे० की दर से गणना संलग्न करें। के अनुसार एन०पी०वी० की धनराशि 887000.00 प्रति हे० यावक विभाग से लिया गया है, इसलिए यावक विभाग द्वारा रु० 887000.00 प्रति हे० एन०पी०वी० की गणना संलग्न किया गया गया है।	गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा विहित व प्रतिदस्ताक्षरित नहीं है। से प्रतिदस्ताक्षरित प्रस्ताव के साथ संलग्न है।	मलवा उत्खनन का विवरण, इसका निस्कारण एवं Reclamation plan जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिदस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।	गैर वन भूमि पर किये जाने वाले मलवा निस्कारण की दशा में भू-स्वाभित का सहमति पत्र संलग्न करें।	आनलाईन भाग-2, क्रमांक-02 में Legal Status Section-4 फीड किया गया है जबकि प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि अंकित किया गया है। अतः एक समान उचित सहसंलग्न करने फीड करें।	12 आनलाईन भाग-2, क्रमांक-03 District wise area to be diverted in the division esa Nil फीड किया गया है, जो जूटिपूर्ण है। अतः विवरण फीड करें।	13 आनलाईन भाग-2 में हरियाली घनत्व 0.02 व हार्डकापी भाग-2 में 01 फीड है, जो जूटिपूर्ण है। अतः एक समान हरियाली घनत्व अंकित करें।	14 आनलाईन भाग-2 में प्रभावित वृक्षों की जूटिपूर्ण फीड किया गया है। अतः प्रस्ताव में संलग्न सूची के अनुसार वृक्षों की संख्या आनलाईन फीड करें।	15 आनलाईन भाग-2, क्रमांक-5 व 6 में उचित डाटा फीड नहीं डाटा फीड कर दिया गया है।
---	--	--	---	---	---	--	--	---

(क) ०५०४०८०१

महल व न महलक,

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

1. પ્રમાણિત વર્ગીકરણ, સ્વચ્છ અને સુવ્યવસ્થિત રીતે પ્રજાતિ
2. અણુસાત્તી અભિવ્યક્તિ, કનકર નિર્માણ સ્વચ્છ, વૈવિધ્ય, વિપરી, યોગ્ય રૂઢ ।

பாடகர் / உ

১৯৯৯ সালের ১৯
 'কলকাতা' নামে
 (১৯৯৯ সালের)
 ১৯৯৯

1. ለዘፈነው ስራ - ምዕራፍ

[illegible]

16	क्रिया गया है। अतः क्रमांक-5 में Tree area is covered under plantation working circle of the working plan तथा क्रमांक-6 में The area is not vulnerable to soil erosion फीट करे।	आनलाइन भाग-2, Additional information details में कोई प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है। अतः सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करे।	आनलाइन भाग-2, District Profile में हाईकपापी के अनुसार पूर्ण विवरण फीट नहीं है।	प्रस्ताव में औद्योगिक वन प्रभाग से सम्बन्धित कुल 2928 वर्गों की पट्टी संलग्न है किन्तु कुछ प्रमाण पत्रों में 2630 वर्ग अतिक्रमण किया गया है, जो जटिलपूर्ण है। अतः एक समान वर्गों की पट्टी संलग्न करते हुए आनलाइन अपलोड करे।
17				
18				प्रस्ताव में औद्योगिक वन प्रभाग से सम्बन्धित कुल 2928 वर्गों की पट्टी संलग्न है किन्तु कुछ प्रमाण पत्रों में 2630 वर्ग अतिक्रमण किया गया है, जो जटिलपूर्ण है। अतः एक समान वर्गों की पट्टी संलग्न करते हुए आनलाइन अपलोड करे।